

नागरिक नामा



Iku dKZ

1.1.1

; g D; k gS

यह आपके नाम पर दिया जाने वाला एक नंबर है जिसके द्वारा आय-कर विभाग आपकी आमदनी का लेखा-जोखा रखता है और टैक्स काटता है।

; g t : j h D; k gS

- पेन-कार्ड आपकी पहचान का एक दस्तावेज है।
- आय-कर जमा करने वालों के लिए पैन आवश्यक है।
- बैंक में एकाउंट खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज है।

यदि आपकी आमदनी रु 2 लाख से अधिक है तो कानूनन आपको इनकम टैक्स भरना होगा। बिना पैन के टैक्स भरना नामुमकिन है।

i si dkMziHr djus ds vlonu dk rjhdk dgk
vlonu fd; k t k s

प्राइवेट एजेंटों के माध्यम से। निजामुद्दीन बस्ती में एस.बी.आई के सामने इनके ठिकाने हैं। एजेंट लोग निर्धारित फीस से करीब 300 रु अधिक लेते हैं।

आप अपने आप भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पैन कार्ड सेंटर, नेहरू प्लेस जाना होगा।

l Mj dk irk&
i si dkMzvlonu dm& ct kt fcfYMx] 97 ug: Iy d
VsyhQka %011&41693000

फार्म के साथ नीचे लिखे दस्तावेज लगाने होंगे।

- फीस रु 105
- पासपोर्ट साइज की 2 फोटो
- एक पहचान का सबूत
- एक पते का सबूत
- एक उम्र का सबूत

यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आपको इसके साथ, दो फोटो, उम्र का सबूत और 105 रु फीस के लगाने होंगे।

व्यक्तिगत वित्त सेवा

1 आप बेब साइट <https://tin.tin.nsdl.com/pan> पर जाकर सीधे फार्म भर सकते हैं।

2 फार्म भर जाने पर आपको फीस भरनी होगी। नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से भर सकते हैं। यदि यह सुविधा न हो तो रू 105 का चेक रिसिविंग रसीद और अन्य दस्तावेजों के साथ भेज सकते हैं

3 रिसिविंग का प्रिंट लेना होगा।

इस रसीद को ऊपर दिए गए दस्तावेजों के साथ पोस्ट द्वारा मिन पते पर भेजना होगा।

पता : पैन सेवा की इकाई
आयकर विभाग
एन.एस.डी.एल (ई-गवर्नेन्स इंफ्रास्ट्रक्चर
लिमिटेड)
5वाँ माला मंत्री स्ट्रीटिंग, प्लॉट नं 341
सर्वे नं. 997/8, माडल कालोनी
दीप बंगला चौक के पास पुणे (411016)

वित्त सेवा के लिए जानकारी

20 नवंबर

आप अपने आवेदन की स्थिति इस बेबसाइट पर जाँच सकते हैं।

<http://tin.tin.nsdl.com/pantan/statustrack>

आपको रिसिविंग रसीद का नंबर देना पड़ेगा

— एस एम एस द्वारा भी स्थिति की जाँच की जा सकती है।

इस तरह एस एम एस भेजना होगा।
NSDLPAN(space){ack.no.}
Send on 57575

मुद्दे जो पैन कार्ड आवेदन करते समय उठ सकते हैं।

फार्म भरने में होने वाली गलतियाँ

- आई डी प्रूफ से मेल न खाने वाले नाम का फार्म में भरना
उदाहरण— *Mohamed rafi* लिखना जबकि आधार कार्ड में *Muhamed rafi* लिखा हुआ है। इस केस में आवेदन रद्द होगा और आपको दोबारा आवेदन करना होगा।

- बार-बार आपका आवेदन रद्द होता है और आपको समझ नहीं आता कि रद्द क्यों हो रहा है।

अपने पैन कार्ड सेंटर में जाकर पता करना होगा या टेलीफोन: 02027218080 पर कॉल करके जानकारी लें।

- आपको अन्य दस्तावेज जमा करने के लिए या दी गई सूचनाओं में सुधार के लिए कहा जा सकता है।

कॉल करके रद्द होने के कारण का पता करें।

; fn vki ds i si dkMZeaxyrh gks rks D; k dj

आपको डुप्लीकेट कार्ड जारी करवाने के लिए आवेदन करना होगा। इसकी कार्यवाही ठीक वही होगी जो कि नये कार्ड की हैं सिर्फ आपको फीस के 70रु जमा करने होंगे।

आवेदन फार्म पैन आवेदन सेंटर में उपलब्ध है या आप नेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं।

आवेदन के साथ आपको अपना पैन कार्ड भी लगाना होगा।

; fn vki dk iSi dkMZ [krk gS; k [kjk gks
t krk gS rks D; k dj

आपको डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। कार्यवाही वही होगी जो पिछले चरण में बताई गई है।

; fn vki viuk iSi ua Hsy x, gS rks
D; k dj

यदि आपका पैन कार्ड खो गया है तो आपको डुप्लीकेट पैन कार्ड जारी किया जाने के लिए आवेदन करना होगा और आपको पैन कार्ड नं. भरना होगा।

यदि आपको नं. याद न हो तो यह भरना नामुमकिन है। आपको सलाह दी जाती है कि पैन कार्ड के साथ आए पत्र को खोजें।

आप पैन कार्ड का नं. इस वेब साइट पर भी ढूँढ सकते हैं।

<http://incometaxindiaefiling.gov.in/efiling/services/knowyourpan>.

आपको अपना नाम और पैदाइश की तारीख वेब साइट पर डालनी होगी।